

**Participants : [Saroj Shri Tufani](#)**

an>

**Title : Need to formulate a policy for allotment of Petrol Pumps by Maintaining a distance of 5 Kms. between two filling stations in Uttar Pradesh.**

श्री तूफ़ानी सरोज (सैदपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पम्प डीलरों में व्याप्त निराशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। सरकार ने जब से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को चयन समिति का अधिकार दे दिया है तबसे पेट्रोल पंप स्थापित करने की गलाघोट प्रतियोगिता शुरू हो गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जो पेट्रोल पंप स्वीकृत किये जाते हैं, नियमतः उनके बीच की दूरी कम से कम पांच कि०मी० होनी चाहिए। लेकिन इस गलाघोट प्रतियोगिता का परिणाम यह हो रहा है कि ये तेल कंपनियां नियम की धज्जी उड़ाने लगी है और एक कंपनी जहां पेट्रोल पंप स्थापित करने की स्वीकृति देती है दूसरी कंपनी उसके बहुत ही करीब अपना पेट्रोल पंप स्थापित करने की स्वीकृति दे देती है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेट्रोल पंप स्वीकृत व स्थापित किए जा रहे हैं दूसरी कंपनियां उससे थोड़ी ही दूर पर अपना पेट्रोल पंप स्थापित करने में अपना सम्मान समझने लगी है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अधिकांश पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर आ गए हैं।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को यह निर्देश जारी करने का कट करे कि जहां एक पेट्रोल पंप स्थापित किया गया हो, दूसरी कंपनी उस पेट्रोल पंप से कम से कम पांच कि०मी० की दूरी पर अपना पेट्रोल पंप स्थापित करे।